भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEE

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CANCELLED

भारत INDIA 5 Rs. FIVE RUPEES NOTARIAL

भारत INDIA 5 Rs. सत्यमेव जयते पाँच रुपये FIVE RUPEES NOTARIAL

CANCELLED

UTTARAKHAND

13AA 214192

समक्ष – रिटर्निंग ऑफिसर
62-जसपुर विधान सभा क्षेत्र
प्रारूप 26 शपथ पत्र संलग्न है।

NOTARY ★ GOVT. ...

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

......62 - जसपुर......निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

......विधान सभा......(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं......मोहम्मद उमर......पुत्र/~~पुत्री~~/~~पत्नी~~......आरिफ हुसैन......आयु 65 वर्ष ...जो......जसपुर......का/~~की~~ निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/~~करती हूँ~~/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/~~करती हूँ~~ :–

1. मै ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (~~अपराधों~~) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसगें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/~~किए गए हैं~~।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

(I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/~~संख्याएं~~......35/09......

(II) पुलिस थाना (~~थाने~~)......जसपुर......जिला (~~जिले~~)......ऊधम सिंह नगर......राज्य......उत्तराखण्ड......

(III) सम्बन्धित अधिनियम (~~अधिनियमों~~)की धारा (~~धाराएं~~) और उस अपराध(~~अपराधों~~) का संक्षिप्त विवरण जिसके (~~जिनके~~) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है......504 भा०द०सं०......

(IV) न्यायालय,जिसके (~~जिनके~~) द्वारा आरोप(~~आरोपों~~) की विरचना की गई......माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल

(V) तारीख (~~तारीखें~~) जिनको आरोप विरचित किया गया थे......उत्तराखण्ड से स्थगित है।......

(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं......माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड के द्वारा स्थगित है।......

2. मुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

(I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं......

(II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है......लागू नहीं......

(III) पुलिस थाना (थाने)......जिला (जिले)......राज्य......लागू नहीं......

(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों)की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है......

(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे......लागू नहीं......

(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं......लागू नहीं......लागू नहीं

स्थानः– जसपुर

तारीखः– 11·01·2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।......जसपुर......स्थान पर आज तारीख......11.01.2012......को सत्यापित किया।

R.S.N. 24/012

Solemnly Verified before me

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्ररूप के स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाएं।